राजस्थान विधान सभा

प्रथम सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी, 2019

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) सचिव, विधान सभा, राज्यपाल महोदय द्वारा राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (2) के अनुसार राजस्थान विधान सभा की अध्यक्षता करने के लिये सक्षम व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी अधिसूचना पढ़ेंगे एवं सदन की मेज पर रखेंगे, जिनके समक्ष पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे और उस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

1- श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन अधिनियम, 2015 की धारा-15 के अन्तर्गत राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018 सदन की मेज पर रखेंगे ।

2- श्री बुलाकी दास कल्ला, ऊर्जा मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड़ का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 ;

(II) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2017-2018 ;

(III) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2017-2018 ;

(IV) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड़ का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018; एवं

(V) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन।

3- श्री लालचंद कटारिया, कृषि मंत्री, दी वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा-31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 60वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..2..

2. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन
का उपस्थापन एवं उस पर विचार

डॉ0 महेश जोशी, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

(1) श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (विभाजन संख्या-121), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जावे :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत (विभाजन संख्या-167), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगी ।

(संशोधन यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

दिनेश कुमार जैन
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 17 जनवरी, 2019

नोट :- प्रश्नकाल नहीं होगा। शून्यकाल होगा।